समिति का ज्ञापन

1— समिति का नाम : समिति का नाम " जिला आपदा प्रबन्ध समिति, बाराबंकी" (जिसे आगे समिति कहा गया है) होगा।

2— कार्य क्षेत्र : समिति का कार्य क्षेत्र जनपद—बाराबंकी होगा।

3— अवस्थिति : समिति का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बाराबंकी में इस स्वतंत्रता के साथ होगा कि इसके एक या अधिक अधीनस्थ कार्यालय या निर्गम जहां कहीं भी जनपद में, यदि ऐसी आवश्यकता हो, स्थापित किये जांय।

4— उद्देश्य—

1— राज्य सरकार तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के आपदा सम्बन्धी कार्यो के जिला स्तर पर निस्पादन हेतु उक्त कमेटी नोडल कमेटी के रूप में कार्य करेगी।

2— राज्य सरकार तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को जोखिम सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में समसामयिक फीडबैक देना।

3— प्रदेश स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित आपदा प्रबन्धकीय कार्ययोजना तथा दिशानिर्देशों का जिले स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा कमेटी की बैठको में प्रगति की समीक्षा करना। आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र में जिले स्तर पर अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करना।

4— आपदा के प्रकारो और उसके संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान करना तथा जोखिम में आने वाले समुदाय तथा सम्पत्तियों को चिन्हित करना तथा जोखिम के प्रभावों को कम करने हेतु विभागीय कार्ययोजना का निर्माण तथा सम्पादन का समन्वय।

5— आपदा के विभिन्न प्रकार प्राकृतिक यथा भूकम्प, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, लू, शीत लहर आदि एवं मानव जनित आपदायें यथा बनों की आग, शहर की आग, ग्राम की आग, माइन फलड, आइल सिपल, भवनों

SP BBK.

7/2/2011

का गिरना, आतंकवादी घटनायें, बम ब्लास्ट, वायु/रेल/सड़क दुर्घटना, नावों का डूबना, विद्युतीय आपदायें, न्यूक्लियर, केमिकल, बाइलोजिकल, रेडिएशन आपदा, त्योहार संबंधी आपदाओं का पूर्वानुमान एवं उनका न्यूनीकरण तथा आपदा उपरान्त राहत एवं पुर्नवास हेतु सभी प्रकार के ऐसे आवश्यक कार्यो का सम्पादन जिससे पश्चातवर्ती जोखिम का न्यूनीकरण किया जा सके।

6– पूर्व आपदाओं की प्रकृति से अनुभव लेकर संभाव्य आपदाओं से निपटने की तैयारी सम्बन्धी आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना (Disaster Management Plan) बनाया तथा उपलब्ध संशाधनों का बेहतर प्रबन्धन कर बचाव कार्य करना।

7– आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना (Disaster Management Plan) ग्राम स्तरीय/ब्लाक स्तरीय एवं जिला स्तरीय को समय–समय पर आद्यतन करना तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रेषित करना।

8– जनपद में सामान्य व कम वर्षा की स्थिति में समुचित अपवहन तंत्र (Drainage System) के आभाव, अनियंत्रित तरीके से बांध निर्माण, बाढ तथा सूखे सम्बन्धी चल रही योजनाओं में विभिन्न विभागों में समन्वय के आभाव, से बाढ़ तथा सूखे की स्थिति बनी रहती है। अतएव बाढ़ एवं सूखे के स्थायी समाधान हेतु समग्र दृष्टिकोण की एकीक्रत, तथा दीर्घकालीन जिला योजना का निर्माण तथा कार्यान्वयन हेतु समेंकित प्रयास करना।

9– जनपद में बाढ़ तथा सूखे के सम्बन्ध में अर्ली वार्निंग इन्डीकेटर तैयार कराना।

10– महानगरो की बहुमंजिली इमारतो, सार्वजनिक सभाओं के पण्डालो, घने (over crowded) व अतिसंकुलित (conjested) आबादी तथा बाजारो में अग्निकाण्ड सम्बन्धी जोखिम को चिन्हित कर सुरक्षा प्रबन्ध व ऐसी किसी दुर्घटना के समय खोज एवं बचाव का कार्य करना।

Abhay

Scanned with CamScanner

11– स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्रों के सहयोग तथा सहभागिता से समुदाय को बाढ़, आग, भूकम्प, विषाक्त गैस, जैसी आपदा से बचने हेत प्रशिक्षित करना तथा समय–समय पर समुदाय तथा विद्यालय के छात्रों को Mock-Drill के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

12– सुनिश्चित करना कि जिले में स्थित स्थानीय प्राधिकारी स्वयं अपने बचाव की रणनीत तैयार कर सकें।

13– स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना ताकि जिले में आपदा से पूर्व व आपदा प्रबन्ध गतिविधियों का निवर्हन किया जा सकें।

14– जोखिम के समय संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, खाद्य पदार्थ सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कान्टिजेन्ट प्लान बनाना तथा सम्भावित आपदा हेतु आवश्यक राहत समाग्री की टेन्डर प्रक्रिया का निस्पादन करना।

15– जनपद के खोज एवं बचाव सम्बन्धी संशाधनों की सूची तैयार कर आपात काल में प्रयोग में लाना तथा इसे आई डी आर एन पर आद्यतन करना।

16– आपदा काल में जीवन तथा संपत्ति सम्बन्धी जोखिम जैसी विषम परिस्थितियों में फॅसे व्यक्तियो को बाहर निकाल कर त्वरित राहत प्रदान करना। घायल व्यक्तियों प्राथमिक चिकित्साकर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पहुचाना / पहुचाने की व्यवस्था करना।

17– आपदा की प्रकृति तथा गम्भीरता के अनुसार अस्थायी शरणस्थल की व्यवस्था करना तथा अन्य सहायक इन्तजाम करवाना।

18– प्रभावित क्षेत्र में व्याप्त भय अथवा अफवाह में जनता को सही जानकारी देना।

19– आपदा में मृत व्यक्तियों तथा पशुओं के शवों का उचित माध्यम से निस्पादन करना।

Scanned with CamScanner

20– जिले में पुनर्निर्माण एवं पुर्नवास के लिये प्रगति तथा उसके परिणामों के अनुश्रवण में राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की सहायता करना।

21– जिला आपदा प्रबन्ध निधि, जिला रेस्पान्स फण्ड एवं जिला मिटीगेशन फण्ड का जिला आपदा प्रबन्ध पाधिकरण की प्रेषित नियमावली के अनुरूप समुचित उपयोग करना।

22– विहित शक्तियों के साथ साथ ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का निस्पादन करना जो राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबन्धक प्राधिकरण व मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो।

अतएवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 के अध्याय–4 धारा–25 के समतूल्य उ0प्र0 के जनपद–बाराबंकी हेतु जिला आपदा प्रबन्ध कमेटी का निम्नानुसार स्वरूप प्रस्तावित है–

क्र0सं0	मूल पद नाम	पद
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता लोकनिर्माण विभाग	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग	सदस्य
7.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
9.	उप नियंत्रक ना0सुरक्षा/कमॉडेन्ट होमगार्ड	सदस्य
10.	मा0 सॉसद/विधायक/स्थानीय निकाय अध्यक्ष	विशेष आमंत्री सदस्य
11.	अपर जिलाधिकारी	सदस्य संयोजक

उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध अधिनियम के अध्याय सोलह की धारा 04 के अनुरूप बिन्दु सं0–08 पर उल्लिखित अधिकारी का दायित्व होगा कि वह कमेटी के अध्यक्ष तथा

Scanned with CamScanner

सदस्य संयोजक के आधीन सहयोगी के रूप में अपने मूल कार्य के साथ साथ आपदा प्रवन्धन तथा खोज एवं बचाव सम्बन्धी कार्यों का समन्वय व निस्तारण करेगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर

1 विकास गोठलवाल, जिलाधिकारी [signature]

2 [illegible] [signature]

3 अजय [signature]

4 डा० पी.के. चौधरी [signature]

5 अशोक कनोजिया [signature]

6

7 सन्तोष कुमार राय [signature]

8 विनोद कुमार अतिरिक्त अधिकारी [illegible] [signature]

9 सुभाष [illegible] [illegible] [signature]

10 आर०जी० यादव अधिशासी अभियन्ता [illegible] शारदा नहर [signature]

11 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ADM(F/R) [signature]